न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2862–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–7–2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 249/अपील/2014–15.

हरप्रताप सिंह आत्मज मनमोहन सिंह
निवासी ग्राम पतलईकलॉ
तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद
द्वारा मुख्त्यारआम
कैलाश सिंह आत्मज मनमोहन सिंह
निवासी ग्राम पतलईकलॉ
तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

लोकेन्द्र सिंह आत्मज छतर सिंह
निवासी ग्राम पतलईकलॉ
तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री डी.के. तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र रावत, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 2–7–2015 के विरूद्ध अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण कमांक

249/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 21–7–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अपर कलेक्टर, होशंगाबाद का आदेश दिनांक 2–7–2015 एवं तहसीलदार, डोलरिया के आदेश दिनांक 24–3–14 के कियान्वयन पर आगामी पेशी तक स्थगन आदेश जारी किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–3–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, और इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1224–पीबीआर/14 में दिनांक 24–3–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया है, ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण दर्ज करने में एवं स्थगन आदेश देने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर एवं आयुक्त के समक्ष अनावेदकगण द्वारा जिन आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है, उनका निराकरण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किया जा चुका है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के पूर्व ही तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेशों का कियान्वयन हो चुका है, ऐसी स्थिति में स्थगन दिया जाना विधिसंगत नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राह्यता एवं स्थगन के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर 36 वर्ष से काबिज है, और राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा मिलान नहीं होने से सीमांकन से इंकार किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत

प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में आदेश पारित किया गया है । संहिता की धारा 44 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध अपील ग्राह्य योग्य नहीं है । अतः आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के स्वप्रेरणा से निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील ग्राह्य करने में पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष अनावेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपील ग्राह्य योग्य नहीं है, अतः उन्हें वापिस कर दी जाये, परन्तु आयुक्त द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण नहीं करते हुए अपील ग्राह्य की ली गई है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2015 एवं की गई अग्रिम कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है । अनावेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2015 निरस्त किया जाकर की गई अग्रिम कार्यवाही भी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 2868–पीबीआर/15 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर